न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 90/2020 **दायर तारीख :–** 08-07-2020

1. सुरजी देवी पत्नि श्री धुडमल जाति जाट निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
2. जगदीश पुत्र सरदारमल जाति जाट निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.02.2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3006/1 रकबा 0.3275, 3007/2 रकबा 0.0465 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3740 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है। यह है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 3007/2 रकबा 0.0465 की उत्तरी सींव से लगती अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नंबर 3007/0.3487 है। अप्रार्थी संख्या 2, प्रार्थीया की भूमि खसरा नंबर 3007/2 रकबा 0.0465 भूमि की उत्तरी दिशा की सींव डोल से छेडछाड करता रहता है, इस कारण प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाया आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि कि दिनांक 25.06.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीया अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3006/1 रकबा 0.3275, 3007/2 रकबा 0.0465 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3740 हैक्टेयर का सक्षम राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से पत्थरगढी करवाये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम गांधीनगर खाता संख्या 157 संवत् 2075–2078, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 25.06.2020 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

गांधीनगर के खसरा नम्बर 3006/1 रकबा 0.3275, 3007/2 रकबा 0.0465 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3740 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क रहा कि मौके पर पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीया ने तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक–भू0अ0/सीमा/प.( )/2020/7 दिनांक 18.06.2020 की पालना में दिनांक 25.06.2020 को सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3006/1 रकबा 0.3275, 3007/2 रकबा 0.0465 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3740 हैक्टेयर पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर